

25 <sup>07</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।  
 वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश -23 नियम 3  
 CPC पेश कर उक्त वाद को पुनः नया वाद  
 संस्थापित किये जाने के अधिकार को सुरक्षित रखते  
 हुये विड्रॉल करने का निवेदन किया है। लिहाजा  
 वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार  
 पर पुनः नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के  
 साथ उक्त वाद जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता  
 है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम  
 है।



3  
 सहायक कमिश्नर एवं पर्देन  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली.